



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 13, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. खाद्य और ईंधन की लागत बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति 19 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची	2
2. काजीरंगा के पास अवैध खनन के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ता ने NGT का रुख किया	4
3. मुल्लापेरियार बांध के संरचनात्मक सुदृढीकरण पर अंतर-राज्यीय विवाद	5
4. रक्षा मंत्रालय ने 60 बहुउद्देश्यीय परिवहन विमानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निविदा निकाला	7
5. केंद्र सरकार FCRA संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए तैयार	8
6. NCSC पैनल ने केंद्र सरकार के अनारक्षण (De-reservation) प्रस्तावों की जांच शुरू की	9
7. राज्यसभा ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने और NCDC को मजबूत करने वाले विधेयकों को मंजूरी दी	11
8. 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन से पहले संसदीय पैनल ने डी-डॉलरकरण (De-Dollarisation) के एजेंडे पर पूछताछ की	12
9. जनजातीय परिषद ने आरोप लगाया कि ग्रेटर निकोबार द्वीप परियोजना में उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया	14
10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में प्रस्तावित संशोधन और आहार विविधीकरण	15
11. भारत के रक्षा प्रतिष्ठान में सैन्य रूपांतरण और बौद्धिक नेतृत्व	17
12. सेउटा में मोरक्को के युवाओं के प्रवास के सामाजिक-आर्थिक कारक	18

1. खाद्य और ईंधन की लागत बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति 19 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **19 महीने का उच्च स्तर:** भारत में मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति (headline retail inflation) जुलाई में बढ़कर 19 महीने के उच्चतम स्तर 4.45% पर पहुंच गई, जो प्राथमिक रूप से खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रेरित थी।

- **MoSPI द्वारा डेटा जारी:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़े जारी किए गए।
- **लागत बढ़ाने वाले मुख्य कारक:** महीने के दौरान परिवहन, खाद्य वस्तुओं, रेस्तरां के भोजन और आवास सेवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- **सेवाओं में भिन्नता:** जहां एक ओर परिवहन और आतिथ्य (hospitality) लागत में वृद्धि हुई, वहीं स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन जैसे सेवा क्षेत्रों की मुद्रास्फीति में मामूली नरमी दर्ज की गई।
- **मौद्रिक नीति पर प्रभाव:** यह उछाल यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्धारित लक्ष्य बैंड के भीतर है, फिर भी यह मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा मौद्रिक नीति में तत्काल ढील देने (ब्याज दरें घटाने) की गुंजाइश को सीमित करता है।
- **आपूर्ति-पक्ष की चुनौतियां:** कृषि आपूर्ति में मौसमी उतार-चढ़ाव और अस्थिर वैश्विक ऊर्जा मानदंड घरेलू मूल्य स्थिरता के लिए लगातार जोखिम बने हुए हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):** एक समष्टि-आर्थिक (macro-economic) संकेतक जो परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी (basket) में खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तनों को मापता है।
- **मुख्य मुद्रास्फीति (Headline Inflation):** किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति की दर, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जिसे कुल CPI बास्केट का उपयोग करके मापा जाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 45ZA):** केंद्र सरकार को RBI के परामर्श से प्रत्येक पांच वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का जनादेश देता है (वर्तमान में 2% के सहनशीलता बैंड (+/-2%) के साथ इसे 4% निर्धारित किया गया है)।
- **RBI अधिनियम की धारा 45ZB:** निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत ब्याज दर तय करने हेतु मौद्रिक नीति समिति (MPC) को वैधानिक ढांचा प्रदान करती है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 48 और 49):** संसद को स्टॉक एक्सचेंज, वायदा बाजार और राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन ढांचे पर विधायी अधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

यद्यपि खुदरा मुद्रास्फीति वैधानिक 2%-6% लक्ष्य कॉरिडोर के भीतर बनी हुई है, फिर भी खाद्य और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतें उपभोक्ता खर्च को सीमित करती हैं और मौद्रिक नीति निर्माण को जटिल बनाती हैं। दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता सुरक्षित करने के लिए आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं को दूर करना और कृषि उत्पादन को स्थिर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति प्रबंधन और RBI के कार्य।
- **GS प्रश्न पत्र II:** वैधानिक ढांचे (RBI अधिनियम, 1934) और मौद्रिक नीति समिति (MPC) जैसे विशेष नीतिगत संस्थानों के माध्यम से कार्यकारी शासन।

2. काजीरंगा के पास अवैध खनन के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ता ने NGT का रुख किया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **NGT में याचिका:** पर्यावरण कार्यकर्ता महाजन क्रो ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास कार्बी आंगलोंग जिले में देइहोरी नदी में यंत्रिकृत (mechanized) नदी तल बालू खनन के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और MoEFCC में याचिका दायर की।
- **सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध का उल्लंघन:** यह अवैध खनन गतिविधि काजीरंगा की दक्षिणी सीमा के साथ खनन पर सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के पूर्ण प्रतिबंध का उल्लंघन करती है और इसके प्रस्तावित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के अंतर्गत आती है।
- **वन्यजीव शरणस्थल में व्यवधान:** कार्बी आंगलोंग का पहाड़ी भूभाग काजीरंगा में मौसमी मानसूनी बाढ़ के दौरान गैंडों, बाघों और हिरणों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक शरणस्थल के रूप में कार्य करता है।
- **स्वदेशी समुदायों पर प्रभाव:** भारी मशीनों और अनियंत्रित बालू निष्कर्षण से तलछट की मैलापन (sediment turbidity) बढ़ गई है, मछली प्रजनन स्थलों को नुकसान पहुंचा है और स्थानीय अनुसूचित जनजाति की आबादी द्वारा निर्भर जल आपूर्ति को खतरा पैदा हुआ है।
- **सतत दिशानिर्देशों का उल्लंघन:** यह संचालन भारत के सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के तहत स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
- **नियामक निगरानी में विफलता:** याचिका बालू और बजरी खदान पट्टों को नियंत्रित करने वाले अनिवार्य सुरक्षा उपायों को लागू करने में जिला वन अधिकारियों की विफलता को उजागर करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ):** हानिकारक मानवीय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित बफर क्षेत्र।
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):** NGT अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक निकाय, जो पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित नागरिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए समर्पित है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A:** यह जनादेश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक पर वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का एक मौलिक कर्तव्य आयोजित करता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** केंद्र सरकार को ESZ को अधिसूचित करने और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों के आसपास पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए अधिकृत करता है।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957:** खनन गतिविधियों को विनियमित करता है, जहां बालू को राज्य के नियामक क्षेत्र के तहत एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निष्कर्ष

महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भंडारों के पास अनियंत्रित नदी तल उत्खनन जैव विविधता गलियारों और स्वदेशी आजीविका को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। नाजुक तटीय पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए NGT की निगरानी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के जनादेशों और वैधानिक दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन; अवैध खनन और जैव विविधता के नुकसान से संबंधित मुद्दे।
- **GS प्रश्न पत्र II:** पर्यावरण शासन से संबंधित वैधानिक निकाय (NGT) और संवैधानिक निर्देश (अनुच्छेद 48A और 51A(g))।

3. मुल्लापेरियार बांध के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण पर अंतर-राज्यीय विवाद

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **सर्वोच्च न्यायालय में अंतर-राज्यीय शिकायत:** तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केरल पर "अड़चनवादी रवैये" का आरोप लगाया है, जिसने मुल्लापेरियार बांध में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण कार्यों को रोक दिया है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनादर:** यह असहयोग 2014 के संविधान पीठ के फैसले के कार्यान्वयन को रोकता है जिसने तमिलनाडु को जलाशय के जल स्तर को 136 फीट से बढ़ाकर 142 फीट करने की अनुमति दी थी।
- **स्वामित्व और भूगोल:** पेरियार नदी पर इडुक्की जिले (केरल) में स्थित यह 131 वर्ष पुराना ब्रिटिश कालीन चिनाई वाला बांध 1886 के पट्टा समझौते के तहत तमिलनाडु द्वारा स्वामित्वयुक्त, संचालित और पोषित है।
- **सुरक्षा चिंताएं बनाम जल सुरक्षा:** केरल निचले इलाकों की आबादी के लिए संरचनात्मक सुरक्षा जोखिमों का हवाला देता है, जबकि तमिलनाडु दक्षिणी जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों के लिए जलाशय पर अपनी निर्भरता को रेखांकित करता है।

- **रुके हुए रखरखाव कार्य:** विशिष्ट लंबित उपायों में पेड़ काटने की अनुमति, बेबी डैम और मिट्टी के बांध को मजबूत करना, तथा मुख्य बांध की ग्राउंटिंग के लिए मशीनरी पहुंचाना शामिल है।
- **दीर्घकालिक जल स्तर लक्ष्य:** अनिवार्य संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण पूरा होने पर, तमिलनाडु जल स्तर को उसकी अंतिम ऊंचाई 152 फीट तक बहाल करने का कानूनी अधिकार रखता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **मुल्लापेरियार बांध पट्टा समझौता (1886):** त्रावणकोर के महाराजा और भारत के राज्य सचिव (ब्रिटिश क्राउन) के बीच निष्पादित 999 साल का पट्टा समझौता, जो मद्रास प्रेसीडेंसी को जल अधिकार प्रदान करता है।
- **मुल्लापेरियार बांध पर पर्यवेक्षी समिति:** दोनों बेसिन राज्यों के बीच बांध की सुरक्षा, संरचनात्मक निरीक्षण और जल स्तर प्रबंधन की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

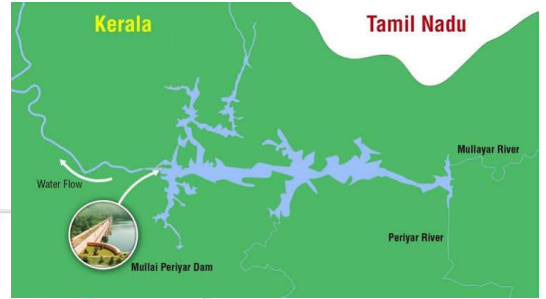
- **अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** अंतर-राज्यीय नदी जल बंटवारे के विवादों को सुलझाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने हेतु अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित।
- **बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021:** बांध की विफलता के खतरों को रोकने के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने हेतु अधिनियमित।
- **अनुच्छेद 131:** भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) प्रदान करता है।

निष्कर्ष

मुल्लापेरियार के लंबे समय से चले आ रहे तनाव को सुलझाने के लिए न्यायिक आदेशों के सख्त पालन के साथ-साथ तटस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोगात्मक तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता है। सहकारी संघवाद को बनाए रखने के लिए निचले तटीय जल अधिकारों को ऊपरी तटीय सुरक्षा चिंताओं के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** संघीय ढांचा और अंतर-राज्यीय संबंध; संघवाद से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां; विवाद समाधान के लिए तंत्र (अनुच्छेद 131 और 262)।
- **GS प्रश्न पत्र III:** आपदा प्रबंधन और बांध सुरक्षा अवसंरचना (बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021); जल संसाधन प्रबंधन और अंतर-राज्यीय नदी विवाद।



4. रक्षा मंत्रालय ने 60 बहुउद्देश्यीय परिवहन विमानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निविदा निकाला

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **विशाल खरीद अभियान:** रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (IAF) के पुराने मालवाहक जहाजों (cargo fleet) के बेड़े का आधुनिकीकरण करने के लिए 60 बहुउद्देश्यीय परिवहन विमानों (Multirole Transport Aircraft - MTA) के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की निविदा जारी की।
- **घरेलू अग्रणी साझेदारियां:** निविदाएं HAL, महिंद्रा डिफेंस और टाटा जैसे प्रमुख घरेलू रक्षा उद्योगों को जारी की गई हैं, जो एम्ब्रेयर (Embraer) और लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) जैसे वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ साझेदारी कर रहे हैं।
- **स्वदेशीकरण का जनादेश:** लगभग 20% विमान 'उड़ान भरने की स्थिति' (fly-away condition) में शामिल किए जाएंगे, जबकि 80% का निर्माण 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
- **रणनीतिक क्षमताएं:** ये बहुउद्देश्यीय प्लेटफॉर्म सामरिक सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही, भारी सैन्य संपत्तियों के परिवहन और संभावित हवा में ईंधन भरने के विन्यास (aerial refuelling configurations) को संभालेंगे।
- **C-295 कार्यक्रम के साथ तालमेल:** MTA पहल एयरबस-टाटा घरेलू निर्माण साझेदारी के तहत 56 C-295 परिवहन विमानों के चल रहे समावेशन का पूरक है।
- **व्यापक वायु सेना आधुनिकीकरण:** यह निविदा 114 बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमानों (MRFA) और 100 से अधिक प्रशिक्षक विमानों (trainer aircraft) के लिए लंबित अधिग्रहण योजनाओं के अनुरूप है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **बहुउद्देश्यीय परिवहन विमान (MTA):** उच्च-भार क्षमता वाले सैन्य एयरलिफ्टर जो रसद परिवहन, चिकित्सा निकासी, सैन्य टुकड़ियों की तैनाती और हवा से हवा में ईंधन भरने का कार्य करने में सक्षम हैं।
- **मूल उपकरण निर्माता (OEM):** एक कंपनी जो ऐसे सामान या घटकों का निर्माण करती है जिन्हें बाद में किसी अन्य फर्म द्वारा अपने ब्रांड नाम के तहत खरीदा और बेचा जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सैन्य हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी की खरीद को नियंत्रित करती है, जिसमें 'मेक इन इंडिया' और स्वदेशी निर्माण श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 1 और 2):** संसद को भारत की रक्षा और नौसेना, सेना तथा वायु सेना पर अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।

- **रणनीतिक साझेदारी (SP) मॉडल:** DAP के तहत एक नीतिगत ढांचा जो भारतीय निजी कंपनियों को स्थानीय स्तर पर जटिल रक्षा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए विदेशी OEMs के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

घरेलू निर्माण साझेदारियों के तहत 60 बहुउद्देश्यीय परिवहन विमानों को शामिल करने से भारत की एयरलिफ्ट क्षमताओं और रणनीतिक गतिशीलता में काफी वृद्धि होगी। वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने से विदेशी आयात पर महत्वपूर्ण निर्भरता कम होने के साथ-साथ भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र III:** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और रक्षा में नई तकनीक का विकास; सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; रक्षा खरीद प्रक्रियाएं।
- **GS प्रश्न पत्र II:** राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों (DAP 2020) को नियंत्रित करने वाली कार्यकारी नीतियां और वैधानिक ढांचे।

5. केंद्र सरकार FCRA संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए तैयार

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **JPC को संदर्भ:** व्यापक प्रतिक्रिया का सामना करते हुए, केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया।
- **राज्य विधानसभा का प्रस्ताव:** तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से विधेयक वापस लेने और राज्य सरकारों तथा संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शुरू करने का आग्रह किया।
- **जनता और अल्पसंख्यकों का विरोध:** मिजोरम में काउंसिल ऑफ चर्च द्वारा इस डर से विशाल रैलियां आयोजित की गईं कि यह विधान अल्पसंख्यक संचालित शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों को असमान रूप से प्रभावित करता है।
- **व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ:** विपक्ष उन प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करता है जो निर्दिष्ट कार्यकारी अधिकारियों को उन एनजीओ (NGOs) की भूमि, भवनों और निधियों पर नियंत्रण प्रदान करते हैं जिनके FCRA पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं या नवीकृत नहीं किए गए हैं।
- **न्यायिक सुरक्षा उपायों का अभाव:** पंजीकरण की समाप्ति पर धर्मार्थ संगठनात्मक संपत्तियों के सरकारी अधिग्रहण या प्रबंधन के दौरान पर्याप्त न्यायिक निगरानी की कमी से संबंधित चिंताओं को रेखांकित किया गया।

- **लोकतांत्रिक सहमति का निर्माण:** एक विवादित विधेयक को द्विदलीय संसदीय समिति के पास भेजने से औपचारिक अधिनियमन से पहले विस्तृत धारा-दर-धारा जांच और हितधारकों के परामर्श में मदद मिलती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA):** राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए व्यक्तियों और संघों द्वारा विदेशी दान या आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने वाला एक संसदीय कानून।
- **संयुक्त संसदीय समिति (JPC):** विशिष्ट विधेयकों या सार्वजनिक मुद्दों की बारीकी से जांच करने के लिए संसद में अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित एक तदर्थ (ad-hoc) संसदीय समिति, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 26 और 30:** धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010:** भारत में गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी धन प्रवाह, अनुपालन दायित्वों और परिचालन पंजीकरण को नियंत्रित करने वाला वैधानिक कानूनी ढांचा।
- **प्रक्रिया के नियम (नियम 254):** संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समितियों के गठन, संदर्भ, शक्तियों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संसदीय नियम।

निष्कर्ष

FCRA संशोधन विधेयक को JPC को भेजना लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाशीलता और संसदीय जांच को दर्शाता है। विदेशी फंडिंग पर वैध राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों को संवैधानिक अधिकारों और नागरिक समाज संगठनों की परिचालन स्वायत्तता के साथ संतुलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** भारतीय संविधान—मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 26 और 30); संसदीय समितियां, कानून बनाने की प्रक्रिया और शासन सुधार; विकास प्रक्रियाएं तथा गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की भूमिका।
- **GS प्रश्न पत्र III:** आंतरिक सुरक्षा के खतरे, विदेशी फंडिंग विनियमन, और मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपाय।

6. NCSC पैनल ने केंद्र सरकार के अनारक्षण (De-reservation) प्रस्तावों की जांच शुरू की

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **व्यापक समीक्षा शुरू:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने आरक्षित कोटे के पदों को अनारक्षित करने के लिए पिछले तीन वर्षों में प्राप्त केंद्र सरकार के सभी प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया।

- **आपत्ति की समय-सीमा का विस्तार:** NCSC के हस्तक्षेपों ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को अनारक्षण प्रस्तावों पर आपत्ति जताने के लिए आयोगों (SC, ST, OBC) को दी गई समय-सीमा को दो सप्ताह से बढ़ाकर एक महीना (दुगुना) करने के लिए प्रेरित किया।
- **प्रक्रियात्मक खामियों को चिन्हित किया गया:** NCSC ने देखा कि अनारक्षण प्रस्ताव अक्सर अधूरे होते हैं और आरक्षित पदों को भरने के वास्तविक प्रयासों को प्रदर्शित करने में विफल रहते हैं, जिसके कारण पैनल ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में प्रस्तुत सभी हालिया प्रस्तावों को खारिज कर दिया।
- **सख्त वैधानिक नियम:** DoPT विनियम अनारक्षण पर सामान्य प्रतिबंध लगाते हैं, जो समूह 'A' की सीधी भर्ती में केवल तभी अपवाद की अनुमति देते हैं जब पद को खाली रखने से जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।
- **बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया:** वैध अनारक्षण अनुरोधों के लिए संबंधित आयोगों, सचिवों की एक समिति द्वारा जांच और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री द्वारा अंतिम प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
- **प्रस्तावित वैकल्पिक समाधान:** NCSC ने पूर्ण अनारक्षण की मांग करने से पहले एक वैकल्पिक उपाय के रूप में पात्र SC उम्मीदवारों की प्रतिनियुक्ति (deputation) या अल्पकालिक संविदात्मक नियुक्तियों की खोज करने की सिफारिश की।



आवश्यक परिभाषाएं

- **अनारक्षण (De-reservation):** निर्दिष्ट श्रेणियों से पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण आरक्षित कोटे की रिक्ति को अनारक्षित घोषित करने की असाधारण प्रक्रिया।
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC):** संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और अनुसूचित जातियों के लिए गारंटीकृत सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करने के लिए अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 338:** अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना में जांच करने, निगरानी करने और भाग लेने की शक्तियों के साथ NCSC की स्थापना करता है।
- **अनुच्छेद 16(4) और 16(4A):** राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न रखने वाले पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रावधान करने हेतु राज्य को सशक्त बनाता है।
- **DoPT दिशानिर्देश:** आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए भर्ती जनादेशों की रक्षा करते हुए अनारक्षण को प्रतिबंधित करने वाले प्रक्रियात्मक ढांचे तैयार करते हैं।

निष्कर्ष

NCSC का हस्तक्षेप केंद्रीय सेवाओं में मनमाने ढंग से अनारक्षण प्रथाओं के खिलाफ संस्थागत निगरानी को मजबूत करता है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए पिछड़े समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की गारंटी देता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** संवैधानिक निकाय—NCSC की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 338); सामाजिक न्याय, सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण को नियंत्रित करने वाली सरकारी नीतियां (अनुच्छेद 16)।
- **GS प्रश्न पत्र II:** शासन—लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, कार्यकारी जवाबदेही, और DoPT दिशानिर्देशों के तहत प्रशासनिक प्रक्रियाएं।

7. राज्यसभा ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने और NCDC को मजबूत करने वाले विधेयकों को मंजूरी दी

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **विधायी स्वीकृति:** राज्यसभा ने दो प्रमुख विधेयकों—केरल (नाम में परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया।
- **राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करना:** केरल (नाम में परिवर्तन) विधेयक 2024 के केरल विधानसभा के उस प्रस्ताव के अनुरूप है, जिसमें केंद्र से संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने का अनुरोध किया गया था।
- **विऔपनिवेशीकरण (Decolonization) की प्रतिबद्धता:** केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नाम परिवर्तन औपनिवेशिक नामों को समाप्त करने और स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **NCDC का विस्तारित जनादेश:** NCDC संशोधन विधेयक प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण और वित्तीय अनुदान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अधिकारों को व्यापक बनाता है।
- **कोई अतिरिक्त बजटीय बोझ नहीं:** केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने स्पष्ट किया कि NCDC के इस विस्तार के लिए केंद्र सरकार से किसी भी अतिरिक्त बजटीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।
- **मानसून सत्र की उत्पादकता:** इन स्वीकृतियों के साथ, उच्च सदन (राज्यसभा) ने सत्र के दौरान लौटाए गए धन विधेयकों (Money Bills) के साथ-साथ लगभग 10 गैर-धन विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया पूरी की।



आवश्यक परिभाषाएं

- **राज्य के नाम में परिवर्तन:** अनुच्छेद 3 के तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदलने की संसद को अधिकार देने वाली संवैधानिक प्रक्रिया।

- **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC):** NCDC अधिनियम, 1963 के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम, जो सहकारिता मंत्रालय के तहत सहकारी क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उन्हें बढ़ावा देने का कार्य करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 3:** संसद को कानून द्वारा नए राज्य बनाने, सीमाओं को बदलने या किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार देता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश और प्रभावित राज्य विधायिका के संदर्भ की आवश्यकता होती है।
- **पहली अनुसूची:** इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के साथ-साथ उनके क्षेत्रीय विस्तार का विवरण शामिल है, जिसमें राज्य के नाम बदलने के कानून के बाद संशोधन किया जाता है।
- **97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011:** सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाले अनुच्छेद 19(1)(c) को जोड़ा और सहकारी प्रशासन का मार्गदर्शन करने के लिए भाग IXB को शामिल किया।
- **सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 32):** सहकारी समितियों को राज्यों के विधायी क्षेत्र के अंतर्गत रखती है, जबकि बहु-राज्य सहकारी समितियां सूची I, प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती हैं।

निष्कर्ष

केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करना संसदीय संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ राज्य की आकांक्षाओं के तालमेल को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही, NCDC को प्रत्यक्ष ऋण पहुंच प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना जमीनी स्तर पर ऋण वितरण को मजबूत करता है, जिससे आर्थिक संघवाद को बढ़ावा मिलता है और भारत का सहकारी क्षेत्र मजबूत होता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान (अनुच्छेद 3, 19(1)(c), पहली अनुसूची); संसद और राज्य विधायिका—संरचना और कार्य संचालन।
- **GS प्रश्न पत्र III:** विकास प्रक्रियाएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका और वैधानिक वित्तीय संस्थान (NCDC अधिनियम, 1963)।

8. 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन से पहले संसदीय पैनल ने डी-डॉलरकरण (De-Dollarisation) के एजेंडे पर पूछताछ की

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **संसदीय जांच:** सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए डी-डॉलरकरण (de-dollarisation) पर अपनी रणनीति के संबंध में केंद्र सरकार से पूछताछ की।

- **ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026:** भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स समूह की घूर्णी अध्यक्षता (rotating chairship) ग्रहण की, जो सितंबर में नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की दिशा में अग्रसर है।
- **डिजिटल मुद्राओं पर RBI का प्रस्ताव:** भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सीमा पार व्यापार और पर्यटन हेतु सदस्य देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) को जोड़ने का समर्थन किया।
- **वित्तीय संप्रभुता पर जोर:** समिति के सदस्यों ने सरकार से घरेलू व्यापार को भू-राजनीतिक तनाव और एकतरफा प्रतिबंधों से सुरक्षित रखने के लिए वित्तीय स्वायत्तता तंत्र को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
- **स्थानीय मुद्रा व्यापार की बाधाएं:** पैनल ने नोट किया कि रूस के साथ जैसे द्विपक्षीय स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र को परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके लिए व्यापक ब्रिक्स-नेतृत्व वाले समाधानों की आवश्यकता है।
- **भू-राजनीतिक जवाबी दबाव:** यह बहस अमेरिकी प्रशासन की उन स्पष्ट चेतावनियों के बीच सामने आई है जिसमें डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयास करने वाले राष्ट्रों के खिलाफ दंडात्मक शुल्क (punitive tariffs) लगाने की धमकी दी गई है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **डी-डॉलरकरण (De-Dollarisation):** वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संप्रभु राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक आरक्षित मुद्रा, विनिमय के माध्यम या लेखा की इकाई के रूप में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करते हैं।
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):** किसी देश की आधिकारिक फिएट मुद्रा का एक डिजिटल रूप जो उसके केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है (जैसे भारत का e-Rupee)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 10 और 36):** संसद को विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सिक्का ढलाई पर अनन्य रूप से कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** मौद्रिक नीति को विनियमित करने, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन और मुद्रा निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए RBI को कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करते हुए बाहरी व्यापार और सीमा पार भुगतानों को सुविधाजनक बनाने वाला कानूनी ढांचा।

निष्कर्ष

स्थानीय मुद्रा तंत्र और परस्पर-परिचालनीय (interoperable) CBDCs को बढ़ावा देना वित्तीय लचीलेपन के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है। रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के साथ डी-डॉलरकरण पहलों को संतुलित करने के लिए व्यापारिक घर्षणों को आकर्षित किए बिना राष्ट्रीय व्यापार हितों की रक्षा हेतु कैलिब्रेटेड आर्थिक कूटनीति की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (BRICS); संसदीय समितियां, संरचना और विधायी निगरानी कार्य।

- **GS प्रश्न पत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—वैश्वीकरण के प्रभाव, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), और अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान ढांचा।

9. जनजातीय परिषद ने आरोप लगाया कि ग्रेटर निकोबार द्वीप परियोजना में उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **जनजातीय परिषद के आरोप:** ग्रेट और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद ने स्थानीय प्रशासन पर शोम्पेन (Shompen) जनजाति को "आधुनिक जीवन शैली" में धकेलने का प्रयास करने और 91,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना के संबंध में जनजातीय चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
- **शोम्पेन के आवास पर प्रभाव:** जनजातीय नेताओं ने शोम्पेन बस्तियों के पास प्रस्तावित गैलाथिया (Galathea) बिजली संयंत्र जैसी अवसंरचना से उत्पन्न जोखिमों को उजागर किया, जो आधिकारिक आश्वासनों के विपरीत है कि परियोजना मूल समुदाय को परेशान या विस्थापित नहीं करेगी।
- **पैतृक भूमि पर पुनः बसाने की मांग:** जनजातीय परिषद ने निकोबारी सदस्यों को ग्रेट निकोबार के पश्चिमी तट पर स्थित उनके पैतृक गांवों में पुनः बसाने की अपनी मांग दोहराई।
- **स्वतंत्र, पूर्व सूचित सहमति (FPIC) का अभाव:** परिषद के सदस्यों ने सवाल उठाया कि द्वीप के प्राकृतिक आवासों में वन्यजीव अभयारण्यों को अधिसूचित करने और टाउनशिप परियोजनाओं को विकसित करने से पहले मूल निवासियों की सहमति क्यों नहीं ली गई।
- **शोम्पेन जनजाति की सुभेद्यता:** शोम्पेन 300 से कम सदस्यों वाले शिकार-संग्रहकर्ता विशेष रूप से सुयोग्य जनजातीय समूह (PVTG) हैं, जो उन्हें बाहरी संपर्क और पारिस्थितिक व्यवधान के प्रति अत्यंत संवेदनशील बनाता है।
- **जनजातीय शिकायतों का लोप:** परिषद ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों को बाद के प्रशासनिक निर्देशों से हटा दिया गया, जिससे स्थानीय अविश्वास गहरा गया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **विशेष रूप से सुयोग्य जनजातीय समूह (PVTGs):** अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक उप-समूह जो घटती या स्थिर जनसंख्या, कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक, कम साक्षरता और आर्थिक पिछड़ेपन द्वारा चिह्नित होता है।
- **ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना:** एक विशाल बुनियादी ढांचा विकास परियोजना जिसमें संवेदनशील द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र में एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, बिजली संयंत्र, हवाई अड्डा और टाउनशिप शामिल है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पांचवीं और छठी अनुसूची / अनुच्छेद 244:** मूल निवासियों के समुदायों की रक्षा के लिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रशासन और शासन के लिए संवैधानिक तंत्र प्रदान करता है।
- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मूल जनजातियों का संरक्षण विनियमन (1956):** स्वदेशी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए प्रवेश और भूमि अधिग्रहण को प्रतिबंधित करते हुए पैतृक जनजातीय आवासों को आरक्षित क्षेत्र घोषित करता है।
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006:** विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि को डायवर्ट करने से पहले पैतृक आवास अधिकारों की मान्यता और ग्राम सभाओं की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (Free, Prior, Informed Consent) को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष

रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास को स्वदेशी अधिकारों के साथ संतुलित करने के लिए पारदर्शी परामर्श और वैधानिक सुरक्षा उपायों के कड़े पालन की आवश्यकता है। शोम्पेन जैसे PVTGs की सुरक्षा के लिए उन पर अवांछित सांस्कृतिक परिवर्तनों को थोपे बिना उनके आवास की स्वायत्तता को संरक्षित करना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** कमजोर वर्गों (PVTGs और अनुसूचित जनजातियों) की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय; संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244)।
- **GS प्रश्न पत्र III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), और पारिस्थितिक तथा जनजातीय स्थिरता के साथ विशाल-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का संतुलन।

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में प्रस्तावित संशोधन और आहार विविधीकरण

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **सस्ती दरों में सुधार:** घरेलू उपभोग सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि ICMR-NIN द्वारा अनुशंसित स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ परिवारों का हिस्सा 2011-12 के लगभग 52% से घटकर 2023-24 में लगभग 25% हो गया है।
- **प्रारूप NFSA संशोधन विधेयक, 2026:** प्रस्तावित प्रारूप अंत्योदय अन्न योजना (AAY) की पात्रता को परिवार के आकार से जोड़ता है, जिसमें प्रति व्यक्ति 7 किग्रा का प्रस्ताव है (अधिकतम सीमा 35 किग्रा), जिसके लिए छोटे और सुभेद्य परिवारों के लिए स्पष्ट नुकसान-रोधी (no-loss safeguards) सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- **लाभार्थियों की पुरानी सीमाएं:** कवरेज की सीमाएं (caps) अभी भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों (75% ग्रामीण, 50% शहरी) से जुड़ी हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी कवरेज घटकर भारत की अनुमानित 2025 की जनसंख्या का लगभग 55.6% रह गया है।

- **कुपोषण और NCDs से निपटना:** भारत कुपोषण और गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते दोहरे बोझ का सामना कर रहा है, जिसमें NFHS-6 के आंकड़े 29.3% बच्चों में बौनापन (stunting) दिखाते हैं और अध्ययन कार्बोहाइड्रेट-प्रधान आहार से जुड़ी उच्च मधुमेह दरों को उजागर करते हैं।
- **आहार विविधीकरण की आवश्यकता:** ICMR-NIN के दिशानिर्देशों की सिफारिश है कि अनाज और बाजरा दैनिक कुल ऊर्जा का अधिकतम 45% प्रदान करें, जो दालों, दूध और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
- **स्वास्थ्य द्वार (Health Gateways) के रूप में FPS:** फेयर प्राइस शॉप्स (FPS/राशन दुकानों) का उपयोग पोषण जागरूकता फैलाने, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संदर्भ (referrals) देने और प्रमाणीकरण विफलताओं के दौरान अनाज की पहुंच से वंचित किए बिना 'वन नेशन वन राशन कार्ड' पोर्टेबिलिटी का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY):** सबसे गरीब परिवारों (poorest of the poor) को लक्षित करने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय योजना, जो प्रति परिवार अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करती है।
- **कुपोषण का दोहरा बोझ (Double Burden of Malnutrition):** एक ही आबादी के भीतर अल्पपोषण (बौनापन, दुबलापन) के साथ-साथ अधिक वजन, मोटापा या आहार से संबंधित गैर-संचारी रोगों (NCDs) का एक साथ अस्तित्व।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार और भोजन के अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है।
- **अनुच्छेद 47:** राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को अपने नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए बाध्य करता है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को खाद्यान्न की वैधानिक पात्रता प्रदान करने वाला कानूनी ढांचा।

निष्कर्ष

भारत के खाद्य सुरक्षा ढांचे में सुधार के लिए बुनियादी कैलोरी पूर्ति से व्यापक पोषण सुरक्षा की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है। जनसंख्या कवरेज मेट्रिक्स को अद्यतन करना और PDS खाद्य टोकरी का विविधीकरण करना जीवनशैली की बीमारियों को कम करने तथा दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे; कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।

- **GS प्रश्न पत्र III:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)—उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं, पुनरुद्धार; बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे।

11. भारत के रक्षा प्रतिष्ठान में सैन्य रूपांतरण और बौद्धिक नेतृत्व

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **सैन्य रूपांतरण पर जोर:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान सशस्त्र बलों के सुधारों को गति देने का निर्देश दिया, जिसका ध्यान अनावश्यक परिचालन संरचनाओं को कम करने (cutting flab), परिचालन प्रभावशीलता और तीनों सेनाओं के तालमेल (tri-service synergy) पर था।
- **एकतरफा पुनर्गठन:** सुधारों ने उच्च रक्षा संगठन (HDO) के ऊपर-से-नीचे तक (top-down) संपूर्ण-सरकार पुनर्गठन को चलाने के बजाय बदलाव का प्राथमिक बोझ सशस्त्र बलों पर डाल दिया है।
- **अंतर-सेवा सहमति की कमी:** सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच परिचालन एकीकरण अंतर-सेवा सहमति की कमी और लगातार अंतर-सेवा घर्षण के कारण बाधित बना हुआ है।
- **उच्च पदों पर बौद्धिक शून्यता:** अधिकारियों के बीच उच्च शैक्षणिक योग्यताओं के बावजूद, "ऊर्ध्वगामी गतिशीलता जाल" (upward mobility trap) अक्सर पेशेवर असहमति को हतोत्साहित करता है और राजनीतिक नेतृत्व के साथ बौद्धिक जुड़ाव को बाधित करता है।
- **ऐतिहासिक उदाहरण:** जनरल के. सुंदरजी, एयर कमोडोर जसजीत सिंह और रियर एडमिरल राजा मेनन जैसे प्रमुख सैन्य रणनीतिकारों ने मजबूत बौद्धिक वकालत के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को सफलतापूर्वक आकार दिया।
- **सैन्य शिक्षा का पुनरुद्धार:** रणनीतिक गहराई का निर्माण करने और संस्थागत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वॉर कॉलेजों के भीतर व्यावसायिक सैन्य शिक्षा (PME) का आधुनिकीकरण आवश्यक है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **उच्च रक्षा संगठन (HDO):** रक्षा मंत्रालय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सेवा मुख्यालयों सहित कार्यकारी संरचनात्मक ढांचा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा योजना और कमान के लिए जिम्मेदार है।
- **व्यावसायिक सैन्य शिक्षा (PME):** रणनीतिक सोच और सिद्धांत विकसित करने के लिए वॉर कॉलेजों जैसे संस्थानों के माध्यम से सैन्य अधिकारियों को प्रदान किया जाने वाला व्यवस्थित शैक्षणिक और परिचालन प्रशिक्षण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 53(2):** संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित करता है, जो कानून के अनुसार प्रयोग की जा सकती है।

- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 1 और 2):** राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा और सशस्त्र बलों पर संसद को अनन्य विधायी क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
- **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961:** रक्षा मंत्रालय और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के भीतर वैधानिक जिम्मेदारियों, नागरिक-सैन्य नियंत्रण और कार्यात्मक क्षेत्राधिकारों को परिभाषित करता है।

निष्कर्ष

एक जटिल सुरक्षा वातावरण में सार्थक सैन्य रूपांतरण प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक पुनर्गठन को मजबूत बौद्धिक नेतृत्व के साथ पूरा करने की आवश्यकता है। सशस्त्र बलों के भीतर पेशेवर बहस और रणनीतिक चिंतन को प्रोत्साहित करना प्रभावी नागरिक-सैन्य संश्लेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा तत्परता सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र III:** सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां तथा उनका जनादेश; उच्च रक्षा प्रबंधन सुधार और संयुक्तता।
- **GS प्रश्न पत्र II:** नागरिक-सैन्य संबंध, कार्यकारी जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण।

12. सेउटा में मोरक्को के युवाओं के प्रवास के सामाजिक-आर्थिक कारक

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **सेउटा में घुसपैठ और EU घर्षण:** 72,000 से अधिक मोरक्कोवासियों ने दो दिनों में स्पेन के सेउटा (Ceuta) क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप 80 से अधिक मौतें हुईं और यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों में तीव्र सुरक्षा तथा नीतिगत मतभेद पैदा हो गए।
- **गंभीर युवा बेरोजगारी:** समष्टि-आर्थिक (macroeconomic) सुधारों के बावजूद, मोरक्को की कुल बेरोजगारी 13% तक पहुंच गई, जबकि युवा बेरोजगारी (15-24 वर्ष) बढ़कर लगभग 37% हो गई, जो राष्ट्रीय दर से लगभग तीन गुना है।
- **शिक्षित बेरोजगारी का जाल:** बेरोजगारी शिक्षित युवाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त 50% से अधिक स्नातक बेरोजगार हैं, जिनमें उच्च डिग्री वाले लगभग 65% युवा महिलाएं और 54% युवा पुरुष शामिल हैं।
- **उच्च NEET व्यापकता:** लगभग 24.5% मोरक्को के युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण से बाहर (NEET) हैं, जो खतरनाक पश्चिमी भूमध्यसागरीय मार्गों से प्रवास को तेज कर रहे हैं।
- **सीमा प्रबंधन और मानवीय क्षति:** मोरक्को के अधिकारियों ने 2024 में लगभग 80,000 पारगमन (transit) प्रयासों को रोका, फिर भी 2026 में स्पेन के कुल भूमि और समुद्री आगमन में मोरक्कोवासियों की हिस्सेदारी लगभग 20% रही।
- **EU के भीतर नीतिगत भिन्नता:** इस वृद्धि ने सीमा प्रवर्तन, एकतरफा यात्रा प्रतिबंधों और अनियमित प्रवास के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जिम्मेदारी के संबंध में यूरोप के भीतर गहरे राजनीतिक मतभेदों को उजागर किया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **सेउटा (Ceuta):** उत्तरी अफ्रीकी तट पर एक स्पेनिश स्वायत्त परिक्षेत्र (enclave) जो मोरक्को के साथ भूमि सीमा साझा करता है, जो यूरोपीय संघ में प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- **NEET (शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं):** एक सामाजिक-आर्थिक संकेतक जो श्रम बल और शैक्षणिक प्रणालियों दोनों से कटे हुए युवाओं के अनुपात को मापता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल:** अंतरराष्ट्रीय कानूनी संधियां जो शरण, शरणार्थी संरक्षण और गैर-वापसी सिद्धांत (non-refoulement principle) के लिए मानदंड स्थापित करती हैं, जो खतरे में जबरन वापसी को रोकती हैं।
- **प्रवास और शरण पर EU समझौता:** यूरोपीय सदस्य देशों में सीमा जांच, शरण प्रसंस्करण, एकजुटता तंत्र और संयुक्त प्रवास प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विधायी ढांचा।
- **अनुच्छेद 21 (तुलनात्मक विश्लेषण के लिए भारतीय संदर्भ):** अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे भारतीय न्यायशास्त्र मानवीय गरिमा और बुनियादी आजीविका सुरक्षा तक विस्तारित करता है।

निष्कर्ष

अनियमित भूमध्यसागरीय प्रवास से निपटने के लिए संरचनात्मक आर्थिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है जो समष्टि-आर्थिक वृद्धि को शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार सृजन में परिवर्तित करें। टिकाऊ समाधान द्विपक्षीय सहयोग, कानूनी रास्तों का विस्तार करने और संरचनात्मक सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करने पर निर्भर करते हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्न पत्र II:** अंतरराष्ट्रीय संबंध—वैश्विक प्रवास नीतियों और भू-राजनीतिक गतिशीलता का प्रभाव; शरणार्थियों और मानवाधिकारों को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थान और संधियां।
- **GS प्रश्न पत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार, समावेशी विकास और रोजगारहीन विकास (jobless growth) की चुनौतियों के बीच मानव पूंजी विकास से संबंधित मुद्दे।

AUGUST 13, 2026

